न्यायालय :चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
रिलीज प्रार्थना–पत्र सं0–1286/2026
राज्य बनाम गर्वित

मु0अ0सं0–68/2026 ,
अंतर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम
थाना–प्रेमनगर, देहरादून।

वाहन रिलीज आदेश

दिनांक 16.04.2026

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी गर्वित पुत्र श्री हरि कृष्ण, निवासी कंडोली बिधोली रोड़ निकट ब्राइट वेव स्कूल प्रेमनगर देहरादून की ओर से वाहन को निर्मुक्त किये जाने के संबंध में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी वाहन कार **Ragistration No. UK07HJ1983** का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी का उक्त वाहन दिनांक 07.04.2026 को थाना प्रेमनगर द्वारा धारा 60 आबकारी एक्ट के अंतर्गत सीज कर दिया गया था। प्रार्थी का उक्त वाहन थाने के बाहर खुले में खडे खड़े खराब हो जायेगा। अतः प्रार्थी के द्वारा उक्त वाहन को अपने पक्ष में निर्मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

2. सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्त गर्वित द्वारा ओल्डमोक चढीगढ़ मार्का एक पेटी अग्रेंजी शराब उक्त कार से दूसरे राज्य से लाकर स्थानीय लोगों को अवैध शराब बेचने के लिये परिवहन करने के जुर्म में मय वाहन कार, अवैध शराब के गिरफतार किया गया जिस पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 68/2026 अंतर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। जो उपरोक्त अभियोग में माल मुकदमाती वाहन है, जोकि थाना कोतवाली प्रेमनगर परिसर में खड़ी है।

3. अभियोजन के कथनानुसार अन्तर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम के मामले में उक्त वाहन थाने में दाखिल है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर स्वयं को उक्त मुकदमे से संबंधित वाहन का स्वामी होना अभिकथित करते हुए उक्त वाहन को अपने पक्ष में निर्मुक्त कराये जाने हेतु आदेश पारित किए जाने की याचना की गयी है, जिसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन के सम्बन्ध में आधार कार्ड, आर0सी0 की पर्टिकूलर छायाप्रति संलग्न की गई हैं, जिससे यह दर्शित है कि प्रार्थी वाहन **UK07HJ1983** का प्रथमदृष्टया रजिस्टर्ड स्वामी होना दर्शित होता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **सुन्दर भाई अम्बा लाल**

देसाई बनाम गुजरात राज्य ए0आई0आर0 2003 सु0को0 पेज 638 के मामले में पैरा संख्या–7 में यह निर्देश दिये गये हैं कि–

> 7. "In our view, the powers under section 451. Cr.P.C. should be exercised expeditiously and judiciously. It would serve various purposes namely:-
>
> **1.** owner of the article would no suffer because of its remaining unused or by its misappropriation,
>
> **2.** court or the police would not be required to keep the article in safe custody,
>
> **3.** it the proper panchnama before handing over possession of article is prepared, that can be used in evidence instead of its production before that court during the trial. If necessary, evidence could also be recorded describing the nature of the property in detail, and
>
> **4.** This jurisdiction of the court to record evidence should be exercised promptly so that there may no be further chance of tempering with the articles.

4. प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत वाहन पर अपना स्वामित्व दर्शाया गया है तथा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत वाहन पर अपना हक नहीं जताया गया है। अतः संबंधित थाने में दाखिल प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी/आवेदक के पक्ष में उपरोक्त मामले में निर्मुक्त किये जाने का समुचित आधार है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/आवेदक गर्वित की ओर से प्रस्तुत वाहन निर्मुक्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रश्नगत वाहन को निम्न शर्तों के अधीन निर्मुक्त किया जाता है कि–

1. प्रार्थी मु0 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) की अण्डरटेकिंग एवं समान धनराशि का एक जमानती न्यायालय में प्रस्तुत करेगा कि उक्त वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं किया जायेगा व न ही किसी अन्य को हस्तांतरित किया जायेगा और न ही उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जायेगा।

2. न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वाहन को तलब किए जाने पर प्रार्थी अपने खर्चे पर उक्त वाहन को विनिर्दिष्ट समय, स्थान व दिनांक पर उपलब्ध करायेगा।
3. सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि यदि वाहन **UK07HJ1983** किसी अन्य मामले में वांछित ना हो तो, उक्त वाहन को उसके पंजीकृत वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में निर्मुक्त कर दें।

(रमेश चन्द्र)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।